संयुक्त राज्य अमेरिका का श्रम विभाग
अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों का ब्यूरो
बाल श्रम, जबरन श्रम, तथा मानव तस्करी कार्यालय

कार्यकारी आदेश 13126
जबरन अथवा बंधुआ बाल श्रम द्वारा उत्पादित उत्पादों की सूची

2 दिसम्बर, 2014 तक

भारत

ईंटें

ऐसी रिपोर्टें है कि भारत में ईंट भट्टों में बच्चे ईंटें बनाने के लिए जबरन श्रम की परिस्थितियों में काम कर रहे हैं. एक श्रमिक संगठन की रिपोर्ट से उपलब्ध सबसे ताज़ा सूचना से संकेत मिलता है कि अकेले हरयाणा राज्य में 40,000 तक बच्चे ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं, जिन में से बहुत से जबरन श्रमिकों के रूप में काम करते हैं. पंजाब, हरयाणा और उत्तरप्रदेश सहित भारत भर में ईंट उद्‌द्योग में बंधुआ मज़दूरी पायी जाती है. भट्टे बंधुआ मज़दूरी की ऐसी प्रणाली इस्तेमाल करते हैं जिसमें बच्चे अक्सर ऋण बंधन में बंधे अपने परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ साथ काम करते हैं. इनमें से कुछ बच्चों को इनके माता-पिता के ऋणों की गारंटी के तौर पर काम करने के लिये मजबूर किया जाता है. परिवार भर्ती-कर्ताओं से पेशग़ी धन ले लेते हैं और फिर वह उधार चुकाने के लिए उन्हें काम करने को बाध्य किया जाता है; कर्ज़ साल दर साल चलता जाता है जिससे श्रमिक ऋण बंधन के चक्र में फंस जाता है. अनुसूचित जातियों, जो कि भारत में एक सुविधा-विहीन वर्ग है, तथा प्रवासी परिवारों के बच्चे जबरन श्रम के प्रति विशेष रूप से भेद्य होते हैं. कुछ बच्चों को शारीरिक हिंसा की धमकी के तहत श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है. कुछ बच्चों और उनके परिवारों को नियमित रूप से पगार नहीं मिलती, जितना वादा किया गया था उतना वेतन नहीं मिलता, और उन्हें कार्य स्थल छोड़कर जाने की मनाही होती है.

कपास (संकर)

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में बच्चों को, विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की लड़कियों को, संकर बिनौला उत्पादन के लिए मजबूर किया जाता है. रिपोर्टें हैं कि बंधुआ बाल श्रमिकों वाला बिनौला उत्पादन और कपास के खेत आंध्र प्रदेश में केंद्रित है. ग़ैर सरकारी संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार संकर कपास के उत्पादन में चार लाख और साढ़े चार लाख के बीच बच्चे काम कर रहें हैं, जिनमें से बहुत से जबरन श्रमिकों या बंधुआ मज़दूरों के रूप में काम कर

रहे हैं. इनमें से कुछ बच्चे अपने नौकरी दाताओं के बंधुआ हैं, जिन्हें उनके माता-पिता को अग्रिम भुगतान के रूप में दिये गये ऋण को चुकाने के लिए काम करने पर बाध्य किया जाता है. कुछ बच्चों को ज़हरीले कीटनाशकों के साथ काम करने को बाध्य किया जाता है.

अलंकृत वस्त्र

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में बच्चे, जिनमें से बहुत से 8 से 14 की आयु के बीच हैं, जबरन मज़दूरी की परिस्थितियों में अलंकृत कपड़ों का उत्पादन कर रहें हैं. कुछ बच्चे ऋण बंधन प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं. ज़री का, जो कि कशीदाकारी की एक किस्म है, उत्पादन करने वाली अधिकांश फ़ैक्टरियां मुंबई और दिल्ली में केंद्रित हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को अन्य स्थानों से जैसे कि बिहार से तस्करी करके यहां लाया जाता है. सरकारी छापामारियों और एक ग़ैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1,25,000 से 2,10,000 के बीच बच्चे दिल्ली में कशीदाकारी के कारख़ानों में काम कर रहे हैं, और करीब एक लाख मुम्बई तथा अन्यत्र ज़री के काम तथा वस्त्र अलंकरण कारख़ानों में काम कर रहे हैं. कुछ बच्चों को शारीरिक हिंसा की धमकी के तहत काम करने पर मजबूर किया जाता है. कुछ ओवर-टाइम सहित लम्बे घंटों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम का मेहनताना भी नहीं मिलता.

परिधान

रिपोर्टें हैं कि भारत में बच्चों को, जिन में अधिकांश 8 से 17 वर्ष की आयु के हैं, परिधान तैयार करने के लिए मजबूर किया जाता है. ग़ैर सरकारी संगठनों से उपलब्ध सबसे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में एक लाख तक बच्चों को पोशाकें तैयार करने के लिए बध्य किया जा रहा है. हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जबरन बाल-श्रम फ़ैक्टरियों से हटकर घरों में स्थित उत्पादन और शहरी इलाकों से हटकर उपनगरीय क्षेत्रों में चला गया है, ख़ास तौर पर दक्षिणी भारत में. दलित औए अनुसूचित जातियों के बच्चे, जो भारत में एक सुविधा-विहीन वर्ग है, इस उद्योग में जबरन श्रम के लिए विशेष रूप से भेद्य हैं. बहुत से बच्चों को तस्करी के ज़रिये पोशाक उत्पादन में भेजा जाता है, उन्हें कपटपूर्ण शर्तों के तहत भर्ती किया जाता है, उनकी सहमति के बिना एक से दूसरे नौकरीदाता के पास भेजा जाता है, और उनके काम के लिए मज़दूरी या तो दी ही नहीं जाती या बहुत थोड़ी दी जाती है. पांच वर्ष की छोटी सी आयु तक के कुछ बच्चे उनके मां -बाप को पेशगी भुगतान के ज़रिये भर्ती कर लिए जाते हैं जिससे ऋण-बंधन की ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बच्चों को वह चुकाने के लिये काम करना ही पड़ता है. बच्चों को सबसे अलग कर दिया जाता है, अक्सर वे काम के स्थान पर ही रहते हैं, और उन्हें आने-जाने की आज़ादी पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. कुछ बच्चे सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना रंग-सामग्री और ज़हरीले रसायनों के संपर्क में आने का जोखिम झेलते हैं; और कुछ बच्चों को तब भी ओवर-टाइम काम करने के लिये बाध्य किया जाता है, जब वे बीमार हों. कुछ बच्चों को ज़बानी तथा शारीरिक दुर्व्यवहार और वित्तीय जुर्माने की धमकी और सज़ाएं दी जाती हैं, और कुछ को भोजन, पानी और नींद से नित्य

वंचित रखा जाता है. बच्चों को कपड़े सीने, रंगने, काटने, बटन टांकने और परिधानों की सजावट सहित अनेक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है.

चावल

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में बच्चे जबरन श्रम की परिस्थितियों में चावल मिलों में काम कर रहे हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु में. इन बच्चों को बंधुआ श्रम की पद्धति के ज़रिये चावल उत्पादन का काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, और अक्सर वे अपने परिवारों के साथ काम करते हैं. निचली जाति के बच्चे, जो कि भारत में सामाजिक रूप से सुविधा-विहीन वर्ग हैं, विशेष रूप से भेद्य हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, तमिलनाडु के एक ज़िले में 1,000 से अधिक परिवार चावल मिलों में बंधुआ श्रम के रूप में काम करते हैं. परिवार भर्ती-कर्ताओं से अग्रिम भुगतान ले लेते हैं और फिर उस ऋण को चुकाने के लिए उन्हें काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है. कुछ बच्चों को मिल कर्मिकों से उत्पीडन और आवा-जाही पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है.

पत्थर

ऐसी रिपोर्टें हैं कि भारत में बच्चों को पत्थर उत्खनन के लिए बाध्य किया जाता है. ये बच्चे पत्थर की खादानों, सुरंगों और पत्थर तोड़ने की मशीनों में बंधुआ श्रम की परिस्थितियों में काम करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक मूल्यांकन के अनुसार तमिलनाडु में पत्थर की खानों में काम करने वाले 5,00,000 तक श्रमिक, जिन में पूरे के पूरे परिवार शामिल हैं, बंधुआ मज़दूर हैं. परिवारों को अग्रिम धन प्राप्त होता है और वे ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों तक के लिए बंधुआ बन जाते हैं. कुछ बच्चों को ऋण के लिए गारन्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उस चुकाने लिये उन्हें काम करने को बाध्य किया जाता है. कुछ बच्चों को अपने माता-पिता का ऋण विरासत में मिलता है और उन्हें ठेकेदारों के बीच बेचा और खरीदा जा सकता है. अनुसूचित जातियों के बच्चे, जो भारत में एक सुविधा-विहीन वर्ग है, तथा प्रवासी बच्चे, विशेष रूप से भेद्य हैं. वे बच्चे काम के स्थल पर ही रहते हैं और उन्हें सबसे अलग रहने और आवा-जाही पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. कुछ बच्चों को वित्तीय दंड या शारीरिक हिंसा की धमकी के तहत काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, थोड़ा सा वेतन मिलता है, और मज़दूरी नहीं दी जाती.